पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
अर्ध-वार्षिक प्रगति (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025)

1	परियोजना का नाम	चमेरा-III पावर स्टेशन, (231 मेगावाट)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	 (क)जे-12011/6/2004-आईए-1, दिनांक 10.3.2005 (ख)(i)8-111/2002-एफसी, दिनांक 19.9.2005 (ii) 8-111/2002- एफसी, दिनांक 09.07.2009
4	स्थान क)जिला ख)राज्य ग)अक्षांश घ) देशांतर	 चम्बा हिमाचल प्रदेश 32^0 26′ उ. से 32^0 30′ उ. 76^0 17′ पू. से 76^0 28′ पू.
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन / फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	 समूह महाप्रबंधक (प्रभारी), चमेरा-III पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, धारवाला, पोस्ट बैग नं. 9, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311 टेलीफोन नं: 01899-220210 फैक्स नं.: 01899-220030 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन: 0129-2250111
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	संलग्नक-I के रूप में संलग्न।
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (i)वन क्षेत्र (ii)गैर-वन क्षेत्र ख) अन्य (i)वन क्षेत्र (ii)गैर-वन क्षेत्र	 (i) 29.900 हैक्टेयर (ii) 0.0072 हैक्टेयर (निजी भूमि) (i) 69.075 हैक्टेयर (ii) 11.5322 हैक्टेयर (निजी भूमि) कुल : 110.5114 हैक्टेयर
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/ दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण	(i)आर & आर योजना-2011 के अनुसार पीएएफ़ प्रभावित परिवारों की कुल संख्या जिनकी सारी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है: 0 परिवार जिनके पास अधिग्रहण के बाद 5 बिघा से कम कृषि भूमि है, उनकी संख्या: 92 परिवार जिनके पास अधिग्रहण के बाद 5 बिघा से अधिक कृषि भूमि है, उनकी संख्या: 180

	क)अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	कुल 272 क) अनु.जा. & अनु.ज.ज : 09 & 16 ख) अन्य प्रभावित परिवार : 247 (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, 93-02-02 बीघा भूमि के अधिग्रहण के कारण 241* प्रभावित परिवारों हेतु कुल ₹14.13 करोड़ का आर & आर अवार्ड नए भूमि अर्जन "उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013" के अनुसार, दिनांक 05.01.2018 (आर एंड आर अवार्ड) और 24.03.2018 (कोर्रिजेंडम) को जारी किया गया है। अवार्ड संख्या: LAO/CHEP-III/R&R-मोखरी(1)/2021-1286-1229 दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से 02 अतिरिक्त परियोजना प्रभावित परिवार (PAF) जोड़े गए। प्रभावित परिवारों-243 का विवरण: क) अनु.जा. & अनु.ज.ज : 17 & 15 ख) ख) अन्य प्रभावित परिवार : 211
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसे कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए वजट का आवंटन घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(क) ₹ 1405.63 करोड़ (फरवरी, 2005 मूल्य स्तर पर) & ₹ 2048.12 करोड़ (Revised cost) (ख) ₹ 1877.66 करोड़ (वाणिज्यिक उत्पादन तिथि तक) (ग) ₹ 4659.80 लाख (ईएमपी) + ₹ 1000 लाख (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) = ₹ 5659.80 लाख (घ) ₹ 5406.95 लाख, (संलग्नक-I)
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	(क) (i) पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 19.09.2005 के पत्र संख्या 8-111/2002-एफ़सी द्वारा 96.145 हैक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन (डाइवर्जन) की स्वीकृति दी गई थी। (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 09.07.2009 के पत्र संख्या 8-111/2002-एफ़सी द्वारा मलबा निपटान स्थलों के लिए 2.83 हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के परिवर्तन (डाइवर्जन) की स्वीकृति दी गई थी। *(चमेरा-III परियोजना के निर्माण पूरा होने के उपरांत, लगभग 33.33 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग आगे के कार्यों हेतु जरूरत नहीं होगा। अत: उक्त अनुपयोगी वन-भूमि को हिमाचल राज्य वन विभाग को लौटाने हेतु चमेरा-III पावर स्टेशन द्वारा डीएफओ (भरमौर, चंबा) तथा एमओईएफ&सीसी को पत्र (13.7.2018) के माध्यम से अवगत करवाया गया है । इस संबंध में वन विभाग से पावती का इंतजार है।)* (ख) कुल 541 वृक्षों की कटाई की गई।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक	(क) 01.09.2005 (वास्तविक) (ख) 04.07.2012 (वास्तविक)

	और/अथवा नियोजित की गई)	
12	विलम्ब के कारण यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है।	लागू नहीं। (परियोजना का निर्माण वर्ष 2012 में पूर्ण हो चुका है)
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा/विवरण (क)निगरानी समिति द्वारा (ख)क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	पिछली साइट का दौरा/बैठक आयोजित: (क) निगरानी समिति की चौथी बैठक 16 - 17 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई । (ख) एमओईअफ& सी.सी के क्षेत्रीय कार्यालय देहारादून से अधिकारी का दौरा 3-4 नवम्बर 2020 एवं 16-17 दिसंबर 2020 को हुआ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शिमला स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के दो अधिकारियों ने पर्यावरण मंजूरी में वर्णित शर्तों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु दिनांक 28/02/2023 से 29/02/2023 तक चमेरा ॥। पावर स्टेशन का दौरा किया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	संलग्नक-॥ के रूप में संलग्न।

संलग्नक-।

पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजट का आवंटन एवं खर्च का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	आवंटन (₹ लाख में)	खर्च (₹ लाख में)
1	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	2981.53	2967.92
2	जैवविविधता संरक्षण	जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना में शामिल	
3	मत्स्य विकास	120.00	120.00
4	जन स्वास्थ्य प्रबंधन	148.95	69.54 (143.28)*
5	ईंधन की व्यवस्था	150.00	(103.81)*
6	मलबा निपटान क्षेत्रों का पुनरुद्धार	807.12	1482.26* 210.29
7	खनन और निर्माण-क्षेत्रों का पुनरुद्धार**	148.00	**
8	हरित पट्टी का विकास	25.00	15.00
9	डैम ब्रेक मॉडलिंग एवं आपदा प्रबंधन योजना***	199.20	***
10	पर्यावरण निगरानी योजना#	80.00	167.21
11	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	1000.00	1856.99
	कुल (₹ लाख में)	5659.80	**5406.95**

* ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को निशुल्क ईंधन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और डम्पिंग स्थलों में सुरक्षा कार्यों की लागत सिविल कार्यों की अन्य मदों के लिए यूनिट मूल्य में शामिल है, इसलिए यह पर्यावरण प्रबंधन योजना पर किए गए खर्च में शामिल नहीं किया गया है।

** इस मद के तहत विभिन्न गतिविधियाँ परियोजना के विभिन्न वित्तीय शीर्षों के तहत पहले ही पूरी की जा चुकी हैं

***परियोजना के विभिन्न वित्तीय प्रमुखों के तहत चेतावनी प्रणालियों की स्थापना, वीएसएटी संचार प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश एसपीसीबी एवं चमेरा-॥। (एनएचपीसी) ने पर्यावरण निगरानी योजना पर हवा, पानी के नमूने

के निगरानी/विश्लेषण के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

संलग्नक-II पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या सं- जे.12011/6/2004-आईए-I, दिनांक 10.03.2005 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति	
भाग क: विशिष्ट शर्तें	**अनुपालन की स्थिति**
(i) प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का कार्यान्वयन पाँच साल में पूर्ण होना चाहिए ।	चमेरा-III परियोजना द्वारा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना हेतु कुल ₹ 2926.53 लाख की राशि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग को जमा करायी गयी है। वन्यजीव संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण व प्रबंधन की गतिविधियां जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना में एकीकृत हैं। इसके साथ - साथ, वस्तु के रूप में ₹ 41.39 लाख रुपये की राशि अधोसंरचना के कुल प्रावधान के तहत जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश वन विभाग को प्रदान की गई है। जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों के लिए जमा की गई कुल राशि में से उपायुक्त, चंबा के पास दिनांक 26.10.2007 को जमा कराए गए ₹ 87.00 लाख रुपये भी शामिल हैं जिसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और बागवानी सहायता तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार के तहत पशुपालन सहायता हेतु जमा किया गया है । जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना के क्रियान्वयन वन विभाग, जिला चंबा द्वारा किया जा रहा है एवं इसकी प्रगति रिपोर्ट चमेरा-III पावर स्टेशन को दिया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है: (i)डीसी,जिला-चम्बा को जमा किए गए कुल ₹ 87.00 लाख में से, ₹ 1.5 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) दिनांक 21.10.2019 को प्राप्त हुआ। (ii)डीएफओ (भरमौर वन प्रभाग) ने पत्र दिनांकित 05.01.2023 के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना के क्रियान्वयन के मद में कुल ₹ 1381.192 लाख (दिसंबर 2022 तक) का समेकित वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। (iii)इसके अलावा, वन प्रभाग (वन्यजीव,चंबा) में किए गए जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल खर्च ₹ 687.87 लाख का प्रगति रिपोर्ट (सितंबर-2020 तक) पत्र सं 2270 दिनांक 05.11.2020 द्वारा प्रेषित किया गया है। इसलिए, राज्य अधिकारियों द्वारा चमेरा-III पावर स्टेशन को 2070.562 लाख रुपये की संचयी वित्तीय प्रगति प्रदान की गई है। 16 - 17 दिसंबर 2020 को करियन में आयोजित पर्यावरण निगरानी समिति की बैठक के दौरान जलग्रहण क्षेत्र सुधार कार्यों के कुल व्यय का मिलाप करने और शेष राशि की उपलब्धता से कार्यों के निष्पादन का निर्णय लिया गया था। पावर स्टेशन द्वारा सीसीएफ, चंबा को दिनांकित 20.3.2021 पत्र के माध्यम से ईएमपी के अनुसार जैव विविधता संरक्षण प्रकोष्ठ का गठन कर जलग्रहण क्षेत्र सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है। डीएफओ, चंबा; डीएफओ, भरमौर; डीएफओ (डब्ल्यूएल); डीसी, चंबा को दिनांक 12.04.2021, 29.09.2021, 04.10.2021, 26.05.2022, 21.10.2022,

	28.07.2023, 11.10.2023, 18.01.2024 एवं 07.02.2025 को पत्र के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र सुधार कार्यों की अद्यतन स्थिति और निधि के उपयोग के विवरण हेतु पावर स्टेशन द्वारा अनुरोध किया गया है। व्यय का उपयोग केवल डीएफओ, भरमौर से प्राप्त हुआ है और बाकी से उत्तर की प्रतीक्षा है।
(ii) एनएचपीसी द्वारा अनुप्रवाह परियोजनाओं से बाढ़ों की अत्यधिक संभावना के मामले में चमेरा चरण-I बांध की स्पिलवे की क्षमता की पर्याप्तता के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग को सूचना भेजी जानी चाहिए और यदि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है तो एनएचपीसी द्वारा उस पर ध्यान दिया जाएगा।	एनएचपीसी द्वारा वर्ष 2008 में केन्द्रीय जल आयोग को वांछित जानकारी प्रदान किया जा चुका है । इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग के पत्र दि° 21.11.2008 द्वारा दिए गए विचार कि 24417 क्यूमेक पीएमफ स्पील्वे व स्ल्वीस से 10% निष्क्रिय स्थिति (inoperative) में पास कर सकता है को सुनिश्चित करता है ।
(iii) तीन गांवों चुरी, मौरवारी और सुलाखार के 157 परिवार प्रभावित होंगे। प्रस्तावित और प्रस्तुत की गई पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।	उपायुक्त (चम्बा) के पत्र संख्या RRO/CBA/R&R Scheme/CHEP-III/2010/4809-18 दिनांक 01.03.2011 द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को अधिसूचित किया है। उक्त योजना के तहत, परियोजना से प्रभावित कुल 272 परिवारों (आर & आर योजना-2011 के अंतर्गत) को उचित मुआवजे का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 93-02-02 बीघा भूमि के अधिग्रहण के कारण 241 प्रभावित परिवारों हेतु आर & आर अवार्ड नए भूमि अर्जन "उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन अधिनियम, 2013" के अनुसार, दिनांक 05.01.2018 (आर एंड आर अवार्ड) और 24.03.2018 (कोर्रिजेंडम) को जारी किया गया है।
भाग ख: सामान्य शर्तें	
*(i)*निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	परियोजना के निर्माण वर्ष 2012 में पूर्ण हो चुका है अब परियोजना स्थल पर मजदूर नहीं रह रहे हैं ।

<table>
<tr>
<td>(ii)ईंधन (किरोसिन-तेल/ लकड़ी/ एलपीजी) मुहैया करने के लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं दी जानी चाहिएं।</td>
<td>परियोजना का निर्माण-कार्य वर्ष 2012 में पूर्ण हो चुका है । अब परियोजना स्थल पर मजदूर नहीं रह रहे हैं ।

इसके अलावा, बिजलीघर और बांध स्थल पर चमेरा-III पावर स्टेशन की अपनी डिस्पेंसरी है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एनएचपीसी स्टाफ के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी प्राथमिक और आपातकालीन उपचार के लिए उपलब्ध हैं । एक एंबुलेंस भी उपलब्ध है। पिछले छह महीने की अवधि के दौरान औषधालयों में इलाज करने वाले मरीजों (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) का विवरण निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>उपचार किए गए मरीज (सं.)</th><th>अक्टूबर 2024</th><th>नवम्बर 2024</th><th>दिसंबर 2024</th><th>जनवरी 2025</th><th>फरवरी 2025</th><th>मार्च 2025</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>एनएचपीसी कर्मचारी</td><td>54</td><td>43</td><td>67</td><td>07</td><td>78</td><td>75</td><td>324</td></tr>
<tr><td>कांट्रैक्ट स्टाफ /सी आई एस अफ</td><td>10</td><td>06</td><td>23</td><td>32</td><td>07</td><td>19</td><td>97</td></tr>
<tr><td>स्थानीय लोग</td><td>160</td><td>188</td><td>147</td><td>293</td><td>355</td><td>417</td><td>1560</td></tr>
<tr><td>उपचार प्राप्त मरीजों की कुल सं</td><td>224</td><td>237</td><td>237</td><td>332</td><td>440</td><td>511</td><td>1981</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।</td>
<td>परियोजना के निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब परियोजना स्थल पर मजदूर नहीं रह रहे हैं ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(iv) मलबा स्थलों को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और भूदृश्य आदि के द्वारा निर्माण-क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।</td>
<td>हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के माध्यम से उपयुक्त वृक्षारोपण द्वारा मलबा निपटान स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है।
परियोजना द्वारा वन विभाग को कुल ₹135.55 लाख विभिन्न किस्तों (₹ 113.21 + 6.34+16) में डम्पिंग क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु दिया जा चुका है। इसके एवज में वन विभाग द्वारा 14 डम्पिंग स्थलों पर किए गए पुनर्वास/पौधारोपण कार्य पर कुल ₹ 124.14 लाख (मार्च 2019 महीने तक) के उपयोग का विवरण पत्र दि॰ 03.04.2019 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।
पावर स्टेशन द्वारा कुल 33.33 हेक्टेयर वन भूमि जिसमें डम्पिंग स्थल भी शामिल है, वन विभाग को पत्र सं 13.07.2018 द्वारा लौटा दिया गया है जिसका पावती अपेक्षित है।
16-17 दिसंबर 2020 को करियां में आयोजित पर्यावरण निगरानी समिति की बैठक के दौरान उपरोक्त मसले से डीएफओ को अवगत कराया गया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(v) ऊपर सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।</td>
<td>अनुपालन किया जा चुका है।

परियोजना के कुल बजट में ईएमपी के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(vi) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें एक लाभार्थी महिला सहित</td>
<td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को जिला अधिकारी,चंबा द्वारा दिनांक 01.03.2011 ने अधिसूचित किया गया था। पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना कार्यों की निगरानी के लिए कमेटी बनाने लिए जिला अधिकारी महोदय को परियोजना द्वारा अनेकों पत्रों (दिनांकित 16.02.2012, 11.02.2015,</td>
</tr>
</table>

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं।	10.02.2017, 14.10.2017, 08.03.2018) के माध्यम से निवेदन किया गया है जिसका जवाब अपेक्षित है। सीपीएस-III के आर&आर कार्यों को पूरा माना जाए क्योंकि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है और मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया गया है। इसकी सूचना 16-17 दिसंबर, 2020 को आयोजित ईएमसी को दी जा चुकी है।
(vii) सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	अनुपालन किया जा चुका है। समिति का गठन, परिपत्र संख्या NH/CH-III/Env/10/06/345 दि° 15.9.2006 व परिपत्र संख्या NH/CH-III/Env/10/2017/44-57 दिनांक 13.10.2017 द्वारा किया जा चुका है । समिति की अंतिम बैठक 16-17 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी।
(viii) छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें समीक्षा के लिए मंत्रालय ओर देहारादून स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिएं।	छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं। विगत छमाही रिपोर्ट पत्र दिनांक 18.11.2024 द्वारा ई-मेल (ro.shimla-mefcc@gov.in एवं env.iroshimla-moefcc@gov.in) के माध्यम से भेजी जा चुकी है।

****

<u>नोट: यह रिपोर्ट एमओईफ व सीसी को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट को कृपया देखें ।</u>